भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4266

उत्तर देने की तारीख : 18.07.2019

एम.एस.एम.ई. को बढ़ावा देने के लिए विशेष पैकेज

4266. श्री अनुराग शर्माः
श्री रेबती त्रीपुराः
श्री मनोज तिवारीः
श्री विजय कुमार दूबेः
श्री संतोष कुमारः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का निकट भविष्य में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और समीपवर्ती क्षेत्रों, दिल्ली/एन.सी.आर., बिहार, झांसी, कुशीनगर, आदि सहित देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) की स्थापना करने और इन्हें बढ़ावा देने के लिए विशेष पैकेज प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रस्तावित पैकेज और इसके कार्यान्वयन तंत्र के प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री
(श्री नितिन गडकरी)

(क) से (घ) : सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) पूर्वोत्तर क्षेत्र, दिल्ली/ एनसीआर, बिहार, झांसी, कुशीनगर सहित सम्पूर्ण देश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को लाभ पहुंचाने के लिए विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित करता है। इनमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म एवं लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), टूल रूम एवं प्रौद्योगिकी केंद्र, मिशन सोलर चरखा (एमएससी), पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधि योजना (स्फूर्ति), खरीद एवं विपणन सहायता योजना (पीएमएस), उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी), क्रेडिट गारंटी योजना, क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना (सीएलसीएस-टीयूएस) इत्यादि सम्मिलित है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लिए एक विशेष योजना घटक "पूर्वोत्तर एवं सिक्किम में एमएसएमई का संवर्धन" कार्यान्वित करता है।

उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) भी हिमालय से लगे राज्यों अर्थात हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू व कश्मीर के लिए औद्योगिक विकास योजना कार्यान्वित करता है।

*****